



Neutral Citation No.- 2026:AHC:17568

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-960 वर्ष 2026

विजय कोल आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: सतीश शर्मा

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची का पुनः पुकार किया गया।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री सतीश शर्मा और राज्य विधि अधिकारी सुश्री इफरा इस्लाम को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
3. आवेदक ने 2020 के अपराध संख्या-751 के मामले में भ०द०वि० की धारा 364-ए, 302, 201, थाना-हंडिया, जिला: प्रयागराज, विचारण के लंबित रहने के दौरान ज़मानत मांगी है।
4. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसी तरह के सह-आरोपी व्यक्ति, नसूदी उर्फ रामकेश धारीकर को इस न्यायालय द्वारा 2025 के आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-15448 में पारित दिनांक 7.5.2025 के आदेश के माध्यम से पहले ही ज़मानत पर रिहा किया जा चुका है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि आवेदक का मामला सह-अभियुक्त के बराबर है, जिसे पहले ही ज़मानत पर रिहा किया जा चुका है, वह भी समानता के आधार पर ज़मानत पर रिहा होने का हकदार है।
5. अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि आवेदक 19.11.2021 से जेल में बंद है, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि आवेदक को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. ज़मानत के लिए प्रार्थना का राज्य विधि अधिकारी द्वारा पुरजोर विरोध किया गया है। हालांकि, सह-अभियुक्त के साथ समानता और आवेदक के किसी आपराधिक इतिहास के उपरोक्त तथ्यात्मक पहलुओं पर उसके द्वारा विवाद नहीं किया गया है।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अभिलेखों पर साक्ष्य, लंबित मुकदमे और इस न्यायालय द्वारा **नन्हा पुत्र नभान खा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 क्रि०एल०जे० 938** में पारित निर्णय और पारस राम विशनोई बनाम निदेशक में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में, केंद्रीय जांच ब्यूरो, मनु/SCOR/22410/2021 के साथ-साथ **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2022) 10 एस.सी.सी. 51** के मामले में पारित सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में रिपोर्ट किए गए एक अन्य मामले में, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का विचार है कि आवेदक इस मामले में ज़मानत पर रिहा होने का हकदार है। ज़मानत आवेदन को समानता के आधार पर **अनुमति** दी जाती है।

8. आवेदक- विजय कोल, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि में दो-दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज़ आदेश जारी करने से पहले, ज़मानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

- i) आवेदक मुकदमे के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।
- iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होगा।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ज़मानत को रद्द करने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

जनवरी 27, 2026



सिद्धांत

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!